फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढजिला–श्रीगंगानगर

लेखराम **बनाम** सरकार

किस्म मुकदमाः–दुरस्ती प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्याः–148/2025 (GCMS No. 2025/369)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी लेखराम पुत्र केसूराम जाति नायक साकिन जोड़किया ने यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने रोही कोनपालसर तहसील सूरतगढ़ के ख0न0 397 में 2.592 हैक्टर भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 18.05.1990 के मुन्शीराम पुत्र हरीराम से खरीदशुदा है। जिसका इंतकाल संख्या 128 दिनांक 02.06.1990 को स्वीकृत किया गया है। जिसमें प्रार्थी का नाम लेखराम पुत्र केसूराम सही रूप से दर्ज है। इंतकाल का जमाबंदी में अंकन करते समय लिपिकीय भूल से हेतराम पुत्र केसूराम दर्ज कर दिया गया है। जो कि मात्र लिपिकीय भूल है। प्रार्थी के अन्य पहचान दस्तावेज में भी लेखराम दर्ज है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। मौका पर कोई विवाद नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नाम दुरस्त किया जावे। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी रिपोर्ट अनुसार चक कोनपालसर के खसरा संख्या 397 की 2.592 हैक्टर भूमि हेतराम पुत्र केसूराम जाति नायक के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के नाम उक्त भूमि जरिये बैयनामा ई.सं. 128 सम्वत् 2050–53 की जमाबंदी में हेतराम पुत्र केसूराम जाति नायक के नाम से दर्ज है। जो आज दिनांक तक लगातार जारी है। प्रार्थी का नाम नामा. सं. 128 में आंशिक पठनीय है। किन्तु बैयनामा दिनांक 18.05.1990 में प्रार्थी का नाम लेखराम पुत्र केसूराम जाति नायक निवासी जोड़किया अंकित है। जिसके आधार पर नामा.सं. 128 दर्ज हुआ है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नाम दुरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ की रोही कोनपालसर की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 272 के खसरा संख्या 397 की 2.592 हैक्टर बारानी भूमि में हेतराम पुत्र केसुराम कौम नायक साकिन जोड़किया तहसील हनुमानगढ़ के नाम पर काश्तकार का नाम "लेखराम वल्द केसुराम" करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2026.01.14 17:42:13 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	